

२३/०५/२३

गुडामालानी

पञ्जावली काज पेरा हुई। वकील चाही
 उपस्थित। वकील चाही के विवादीगण
 के समान डाक डारा भेजकर जेहद केन्द्र
 की लिफेकरी रिपोर्ट पेरा की। विवादीगण
 अनुपस्थित। विवादीगण के कोर्ट समय
 में तीन बार तीन-तीन भाषाके खिलाफ गयी
 बावजूद भाषाके खिलाफ के अनुपस्थित रहे
 के विवादीगण के खिलाफ एक तरफ
 कार्यवाही की जाती है वकील चाही के
 बहक सुनी। कोर्ट कलक के खिलाफ
 जाकर सुले न्यायालय सुनाना गला। कोर्ट
 की पालनाही तयरी जारी है। पालना उप
 होके पर शामिल पञ्जावली की जारी है।
 पञ्जावली विधि सुनार होकर इतिहास इफत
 है।

R. K. S.

उपसुपुंड अधिकारी, गुडामालानी

...

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, गुडामालानी (बाड़मेर)
पीठासीन अधिकारी श्री रामजी भाई कलबी आर.ए.एस

संख्या: 67 / 2023

गण :-

1. राणाराम पुत्र कानाराम
जाति जाट निवासी मौखावा तहसील गुडामालानी जिला बाड़मेर

बनाम

विप्रार्थीगण :-

1. भैराराम पुत्र किसनाराम
2. रूपाराम पुत्र हुकमाराम जाति ब्राहमण निवासी मौखावा खुर्द
3. रिडमलराम पुत्र मोबताराम
4. हीराराम पुत्र मोबताराम
5. मंगलाराम पुत्र हरीगाराम
6. सुजाराम पुत्र हरीगाराम
7. हनुमानराम पुत्र हरीगाराम
8. हरीगाराम पुत्र मोबताराम
9. गुलावाराम पुत्र भागचंद
10. बुधराम पुत्र केसाराम
11. भैराराम पुत्र भागचंद
12. रूपाराम पुत्र केसाराम
13. लाधूराम पुत्र भागचंद
14. सदराम पुत्र भागचंद
15. सोमी पत्नी केसाराम
16. लालाराम पुत्र जगराम जाति विशनोई
17. पनाराम पुत्र अचलाराम
18. भंवराराम पुत्र अचलाराम जाति मेघवाल
19. जेठाराम पुत्र कोजाराम
20. वरजूराम पुत्र कोजाराम
21. खेमाराम पुत्र चेतनराम जाति जाट निवासी मौखावा तहसील गुडामालानी
22. तहसीलदार गुडामालानी

राजस्व आवेदन अन्तर्गत धारा 111, 128 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956

उपस्थित

1. श्री डालूराम चौधरी अधिवक्ता प्रार्थीगण

--: आदेश :-

दिनांक :- 23.05.2023

प्रार्थी ने यह प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111 सपठित धारा 128 रा. भू.रा. अधिनियम हेतु, नेखम पैमाईश जरिये पत्थर गढी का विप्रार्थीगण के विरुद्ध पेश किया। प्रकरण दर्ज कर विप्रार्थीगण को जरिये सम्मन तलव किया गया। विप्रार्थीगण के विरुद्ध बाबजूद नोटिस तामील अनुपस्थित रहने से एक पक्षीय कार्यवाही की गई।

हमने प्रार्थी के विद्वान अधिवक्ता श्री डालूराम चौधरी की बहस सुनी एवं पत्रावली का अवलोकन किया। न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत जमाबन्दी सम्बत् 2078 (वर्ष 2021) से स्थाई सरहद मौजा मौखावा पटवार क्षेत्र मौखावा तहसील गुडामालानी के खेत खसरा नम्बर 212, 226/2,

226/5, 226/6, 250 रकबा कमशः 4.4030, 1.0360, 3.2132, 4.8643, 2.0477 हैक्टेयर का अवलोकन किया। जिसमें प्रार्थी का नाम बतौर खातेदारी दर्ज है। प्रार्थी की भूमि के चारों ओर सीमा चिन्ह व पक्की माटे नहीं होने से काश्त व प्राकृतिक पैदावार लेते समय तनाव व विवाद की स्थिति पड़ोसी खातेदारों के साथ उत्पन्न हो जाती है जिससे बचने के लिये प्रार्थी अपनी भूमि की पक्की नेखमबन्दी करवाना चाहते हैं। ऐसी स्थिति में दोनों पक्षकारों की उपस्थिति में विवादित भूमि का सीमाज्ञान करवाकर पक्के नेखम स्थापित करवाने में कोई आपत्ति प्रतीत नहीं होने एवं प्रार्थी विवादित भूमि का राजस्व अभिलेख में खातेदार दर्ज होने से प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है।

अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर तहसीलदार गुड़ामालानी को आदेशित किया जाता है दोनों पक्षकारों की उपस्थिति में विवादित भूमि तहसील गुड़ामालानी पटवार क्षेत्र मौखावा के राजस्व ग्राम मौखावा के खेत खसरा नम्बर 212, 226/2, 226/5, 226/6, 250 रकबा कमशः 4.4030, 1.0360, 3.2132, 4.8643, 2.0477 हैक्टेयर भूमि के सम्बन्ध में सीमाज्ञान करवाकर चारों ओर पक्के नेखम स्थापित करावें। पक्के नेखम स्थापित करवाने हेतु तहसीलदार गुड़ामालानी को 1000/- शुल्क पर कमीश्नर नियुक्त किया जाता है। कमीश्नर शुल्क प्रार्थीगण मौके पर अदा करेंगे। आवश्यकता होने पर तहसीलदार गुड़ामालानी को थानाधिकारी पुलिस थाना गुड़ामालानी से पुलिस इमदाद प्राप्त करने हेतु अधिकृत किया जाता है। तहसीलदार गुड़ामालानी बाद पालना, पालना प्रतिवेदन प्रेषित करे। तहरीर जारी हो। पालना प्रतिवेदन प्राप्त होने पर शामिल पत्रावली किया जावे। पत्रावली फैसल सुमार होकर दाखिल दफ्तर हो।

आदेश आज दिनांक 23/5/23 को खुले न्यायालय सुनाया गया।

(रामजी भाई कलबी)
उपखण्ड अधिकारी, गुड़ामालानी

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, गुडामालानी (बाड़मेर)

वाद / 2023 / 604

प्रार्थीगण

बनाम

दिनांक : 23/5/23

विप्रार्थीगण

राणाराम

भैराराम वगैरा

प्रार्थना-पत्र अन्तर्गत धारा 111 सपठित धारा 128 रा.भू.रा. अधिनियम हेतु
नेखम पैमाईश जरिये पत्थर गद्दी


राजस्व आवेदन सं.....67 / 2023..

निर्णय दिनांक :- 23.05.2023

-:: आदेश ::-

उपरोक्त प्रकरण में ग्राम मौखावा के खेत खसरा नम्बर.....212, 226 / 2, 226 / 5, 226 / 6, 250 रकबा क्रमशः 4.4030, 1.0360, 3.2132, 4.8643, 2.0477 हैक्टेयर की भूमि के चारों तरफ पक्के नेखम स्थापित करते हुए नेखमबंदी करने हेतु तहसीलदार....गुडामालानी.....को कमीशनर नियुक्त किया जाता है। कमीशनर फीश रूपये1000 / -...प्रार्थी अदा करेंगे।

उपरोक्तानुसार नेखमबंदी कर पालना रिपोर्ट 15 दिवस के भीतर उपलब्ध करावें। आवश्यकता होने पर सम्बन्धित पुलिस थाना से पुलिस ईमदाद प्राप्त करने हेतु अधिकृत किया जाता है।


उपखण्ड अधिकारी,
उपखण्ड अधिकारी, गुडामालानी
गुडामालानी

दिनांक : 23/5/23

क्रमांक: वाद / 2023 / 605- 606

प्रतिलिपि :

1. तहसीलदार गुडामालानी
2. थानाधिकारी.....गुडामालानी
3. हल्का पटवारी....मौखावा.. को मय रेकर्ड उपस्थित रहकर नेखमबंदी कार्यवाही पूर्ण कराने हेतु।
4. प्रार्थीराणाराम पुत्र कानाराम
5. विप्रार्थीभैराराम वगैरा.....


उपखण्ड अधिकारी,
उपखण्ड अधिकारी, गुडामालानी
गुडामालानी